मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 2 मई 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	विदेशी मुद्रा प्रबंध	2
IV.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
V.	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
VI.	वित्तीय बाजार	3
VII.	वित्तीय समावेशन और विकास	3
VIII.	आरबीआई बुलेटिन	4
IX.	अनुसंधान और आंकड़े	4
X.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मई महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4 मई 2022 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत हो गई है।
- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

गवर्नर का वक्तव्य

एमपीसी ने उभरती मुद्रास्फीति-संवृद्धि की गतिशीलता और 6-8 अप्रैल 2022 की एमपीसी बैठक के बाद गतिविधियों के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 2 और 4 मई 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत हो गई है। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वसम्मति से निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेड एल के अंतर्गत गठित एमपीसी की 35वीं बैठक 2 और 4 मई 2022 के दौरान उभरती मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता और 6-8 अप्रैल 2022 की एमपीसी बैठक के बाद गतिविधियों के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए ऑफ-साइकिल बैठक के रूप में आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की **595वीं बैठक** श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में 2 मई 2022 को आयोजित की गई।

बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक के नामांकन को अनुमोदन प्रदान किया।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग भी बैठक में उपस्थित रहे।

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की **596वीं बैठक** श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में 20 मई 2022 को मुंबई में आयोजित की गई। बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और वर्तमान भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव की समीक्षा की और वर्ष अप्रैल 2021 - मार्च 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और लेखा वर्ष 2021-22 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को अनुमोदन प्रदान किया। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50% पर बनाए रखने के निर्णय के साथ लेखा वर्ष 2021-22

के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹30,307 करोड़ अंतरित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग भी बैठक में उपस्थित रहे।

गवर्नर ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 17 और 18 मई 2022 को चुनिंदा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उप गवर्नर श्री एम. के. जैन और श्री एम. राजेश्वर राव भी शामिल थे। अपनी परिचयात्मक वक्तव्य में, गवर्नर ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के समर्थन में बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने बैंकों को सूचित किया कि वे हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

एनबीएफसी की जमाराशियों के लिए क्रेडिट रेटिंग

रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2022 को निर्णय लिया कि एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार करने के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, सेबी-पंजीकृत किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 'बीबीबी-' होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात का अनुरक्षण

जैसा कि गवर्नर महोदय के 4 मई 2022 के वक्तव्य में घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.00 प्रतिशत से 50 बेसिस अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया जाए, जोकि 21 मई 2022 को शुरू होनेवाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से लागू होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रतिवर्ती रेपो की रिपोर्टिंग

वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र पर प्रतिवर्ती रेपो की प्रस्तुति में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 को अद्यतन करते हुए 19 मई 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बैंक दर में परिवर्तन

जैसा कि 4 मई 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.25 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आवास योजनाओं के लिए वित्त – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2022 को अपनी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए एकल व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को संशोधित कर महानगरीय केंद्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्रों) में ₹10 लाख और अन्य केंद्रों में ₹6 लाख कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज समतुल्यीकरण योजना

8 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, जो सरकार की किसी भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2022 को सूचित किया कि सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार, उपलब्ध आईईएस ऐसे लाभार्थियों के लिए भी उस खंड से, जिनके लिए उन्होंने पीएलआई लाभों का लाभ उठाया है, से इत्तर खंड के लिए उपलब्ध होगा। ये प्रावधान 1 अक्तूबर 2021 से प्रभावी माने जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आरआरए 2.0: परिपत्रों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक अनुदेशों की समीक्षा करने, अनावश्यक और अनुलिपि (डुप्लिकेट) अनुदेशों को हटाने और विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की। सिफारिशों की तीसरी शृंखला में: आरआरए 2.0 ने 2 मई 2022 को 225 परिपत्रों और 13 मई 2022 को अतिरिक्त 239 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है। इसके साथ, वापस लिए गए परिपत्रों की कुल संख्या 714 है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

एसबीआई द्वारा मियादी ऋण- आईएनआर में निपटान

श्रीलंका से भुगतान प्राप्त करने में निर्यातकों को हो रही कठिनाइयों तथा श्रीलंका द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारतीय स्टेट बैंक के ऋण-सुविधा करार के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2022 को यह निर्णय लिया कि श्रीलंका के साथ किए जा रहे इस तरह के व्यापारिक लेनदेन, जो उक्त व्यवस्था के तहत आते हैं, का निपटान एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में किया जाए। उक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2022 को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर 38वीं छमाही रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के

प्रबंधन के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाने और प्रकटीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जारी की गई है। । विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2022 को सूचित किया कि रिज़र्व बैंक (बैंकों के मामले में) द्वारा यथा-अधिसूचित नामित एजेंसियों तथा डीजीएफटी द्वारा यथा-अधिसूचित नामित एजेंसियों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) द्वारा यथा-अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमि. (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत स्वर्ण का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

अंतर-संचालित कार्ड रहित नकद आहरण

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में अंतर-संचालित कार्ड रहित नकद आहरण (आईसीसीडब्ल्यू) की शुरूआत की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक अपने एटीएम पर आईसीसीडब्ल्यू का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सूचित किया। ऑन-अस/ऑफ-अस आईसीसीडब्ल्यू लेनदेन को किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना संसाधित किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारत बिल भुगतान प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2022 को सूचित किया कि दिनांक 8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम निवल मालियत की आवश्यकता को घटाकर तत्काल प्रभाव से ₹25 करोड़ कर दिया गया है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा

दिनांक 8 अप्रैल 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की स्थिति और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता की जांच और समीक्षा करने तथा ग्राहक सेवा में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की घोषणा की थी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2022 को श्री बी. पी. कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की। मुख्य महाप्रबंधक, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, समिति के सदस्य सचिव होंगे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय बाजार

चलनिधि समायोजन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 4 मई 2022 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। तदनुसार, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को तत्काल प्रभाव से क्रमशः 3.75 प्रतिशत से 4.15 प्रतिशत और 4.25 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत समायोजित किया गया है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा 4 मई 2022 से संशोधित रिपो दर 4.40 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन और विकास

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

विभिन्न राज्यों में अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर से संबंधित लाइसेंस/प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मई 2022 को केसीसी के लिए पात्रता मानदंड संशोधित किए। अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मछली पालन से संबंधित किसी भी आस्ति का स्वामी या पट्टा धारक होना चाहिए और मछली पालन तथा मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों एवं किसी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में लागू होने वाले आवश्यक प्राधिकार/प्रमाणपत्र का धारक होना चाहिए। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 को अप्रैल 2022 महीने के लिए चुनिंदा 40 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़ें, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, जारी किए। वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर अप्रैल 2022 में खाद्येतर बैंक ऋण में 11.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.7 प्रतिशत थी। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, उद्योग, एवं सेवा क्षेत्र के लिए ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल 2022 में क्रमशः 10.6 प्रतिशत, 8.1 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत थी (अप्रैल 2021 में क्रमशः 10.7 प्रतिशत 0.4 प्रतिशत, 2.4 प्रतिशत)। आवास और वाहन ऋण खंडों द्वारा संचालित वैयक्तिक ऋण खंड ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा।

एनबीएफसी को उधार

कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आगे उधार देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को दिए गए उधार और लघु वित्त बैंकों द्वारा एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को दिए गए उधार हेतु 31 मार्च 2022 तक की अनुमति दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मई 2022 को निर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों और एनबीएफसी के बीच विकसित तालमेल को जारी रखने के लिए, उपरोक्त सुविधा को निरंतर आधार पर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. आरबीआई बुलेटिन

आरबीआई बुलेटिन – मई 2022

रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का मई 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23; मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प - 2 और 4 मई 2022; एक भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। चार आलेख हैं:

I. *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने अधिकांश घटक गतिविधि के महामारी-पूर्व स्तरों को पार करते हुए अपनी बहाली को समेकित किया। कमजोर संवृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक स्पिलओवर के कारण आपूर्ति में व्यवधान से उत्पन्न प्रवर्धित वैश्विक जोखिम तथा समकालिक मौद्रिक सख्ती से उत्पन्न वित्तीय बाजार में अस्थिरता ने निकट भविष्य में चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

II. *भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह*

यह आलेख निम्नलिखित पांच व्यापक संस्थागत क्षेत्रों के लिए लिखत-वार वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह प्रस्तुत करता है - (i) वित्तीय निगम; (ii) गैर-वित्तीय निगम; (iii) सामान्य सरकार; (iv) पारिवारिक इकाइयों की सहायता करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं सहित पारिवारिक इकाइयां; और (v) शेष विश्व, वर्ष 2019-20 के लिए 'फ्रोम-हुम-टु-हुम' आधार पर। मुख्य बातें निम्नवत हैं:

ए) घरेलू अर्थव्यवस्था का वित्तीय संसाधन खाई वर्ष 2019-20 के दौरान संकुचित हुआ है।

बी) वित्तीय निवल मालियत के संदर्भ में, पारिवारिक इकाइयों ने प्रमुख स्थान धारण किया है, जिसके बाद वित्तीय निगम आते हैं, जबकि सामान्य सरकार और गैर-वित्तीय निगम निवल उधारकर्ता बने रहे।

सी) वित्तीय निगमों का वित्तीय संसाधन संतुलन 2019-20 के दौरान मजबूत हुआ।

डी) भारत की विदेशी संसाधनों पर निर्भरता एक वर्ष पहले की तुलना में कम हुई है।

ई) कुल मिलाकर, संसाधनों के अभिनियोजन के लिए ऋण और अग्रिम सबसे पसंदीदा लिखत बने रहे, जिसके बाद मुद्रा और जमा-राशियों का स्थान रहा।

III. *संवृद्धि के कारण बढ़ते भारत के विदेशी कर्ज*

यह आलेख विदेशी कर्ज और संवृद्धि के बीच संबंधों की जांच करता है। मुख्य बातें निम्नवत हैं:

ए) निष्कर्ष एक अरैखिक लाफ़र वक्र प्रकार के विलोम यू-आकार के संबंध का प्रमाण प्रदान करते हैं।

बी) जीडीपी की तुलना में विदेशी कर्ज को बढ़ाने वाली संवृद्धि का अनुमानित अनुपात मौजूदा स्तर से अधिक है, जो अधिक ऋण प्रवाह होने का संकेत देती है।

सी) संवृद्धि के उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करते हुए समष्टि-स्थिरता को बनाए रखने के लिए अन्य बाह्य सुभेद्यता मापदंडों के साथ-साथ भारत के विदेशी कर्ज के लिए पहचाने गए स्थान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जा सकता है।

IV. *धारणीय कृषि के लिए सिंचाई प्रबंधन*

यह आलेख कृषि के लिए महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में क्षेत्र-भारित लागत और सिंचाई की दक्षता के प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है। मुख्य बातें निम्नवत हैं:

ए) अध्ययन अवधि के दौरान सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत में गिरावट आई, जो अधिकांश राज्यों में सब्सिडी वाली बिजली के उपयोग में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है।

बी) सिंचाई की अनुमानित तकनीकी दक्षता से पता चलता है कि अधिकांश राज्य दक्षता सीमा से बहुत दूर हैं और गिरावट की प्रवृत्ति भी दर्ज की गई है।

सी) यह अक्षमता, कृषि क्षेत्र और भूजल तक पहुंच में ऊर्जा की खपत से प्रेरित प्रतीत होती है।

डी) निष्कर्ष, ऊर्जा और जल सक्षम सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर देते हैं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. अनुसंधान और आंकड़े

वार्षिक रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 27 मई 2022 को वर्ष 2021-22 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट अप्रैल 2021 - मार्च 2022 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के कामकाज व कार्यपद्धति से संबंधित है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक, क्यू 4:2021-22

रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2022 को दस प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। इस सूचकांक की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) के 2021-22 की चौथी तिमाही में 1.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई) दर्ज की गई, जो पिछली तिमाही में 3.1 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 2.7 प्रतिशत पर थी; एचपीआई में संचरन, शहरों में व्यापक रूप से भिन्न रही, यह 19.2 प्रतिशत (कोलकाता) की वृद्धि से लेकर 11.3 प्रतिशत (बेंगलुरु) तक के संकुचन पर रही।
- क्रमिक (क्यू-ओ-क्यू) आधार पर, अखिल भारतीय एचपीआई के ति4:2021-22 में 1.1 प्रतिशत की संकुचन दर्ज की गयी; बेंगलुरु में 11.1 प्रतिशत की उच्चतम संकुचन दर्ज की गई। कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गयी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

मई 2022 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र सं	विषय
1.	भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े: मार्च 2022
2.	भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण: 22 अप्रैल 2022
3.	ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी:मार्च 2022
4.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश- अप्रैल 2022
5.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अप्रैल 2022
6.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दर: मई 2022
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण राशियों पर तिमाही सांख्यिकी: मार्च 2022
8.	भारत की अदृश्य मदें: अक्तूबर – दिसंबर 2021

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।